सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण संख्या :– 6/2017

बउनवान

सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री राज कुमार पुत्र श्री अमीर चन्द उम्र 40 वर्ष निवासी गौस्वामियों का मौहल्ला अन्ता जिला बारॉ **(मौके पर मौजुद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स मॉ अन्नपूर्णा कन्फैशनरी, सीसवाली रोड सी.एस.सी. के पास अन्ता जिला बारॉ।

2– श्री नितिन नन्दवाना पुत्र श्री विद्या शंकर नन्दवाना, बौहरा मौहल्ला, कैथून लाडपुरा कोटा। मैसर्स विनायक सेल्स, 262 सॉपिंग सेन्टर कोटा–7

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति : 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)

2– श्री अनोज कुमार शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)

निर्णय दिनांक 11.3.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.03.2016 को मैसर्स मॉ अन्नपूर्णा कन्फैशनरी, सीसवाली रोड सी.एस.सी. के पास अन्ता जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री राज कुमार पुत्र श्री अमीर चन्द विक्रेता व मालिक की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 19.03.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz) **01 लीटर की बॉतल के 02 कार्टून** विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। उक्त Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz) **01 लीटर की बॉतल के** मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। नमूना जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz) विक्रेता से 01 लीटर की 04 बॉतले वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को 320/- रूपये श्री राज कुमार पुत्र श्री अमीर चन्द को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है।

आवेदक ने खरीदशुदा Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz) **01 लीटर की 04 बॉतले** को अलग-अलग चार नमूना भाग में कर मूल ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-586 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना डिब्बे पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 586 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमुना डिब्बो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना डिब्बो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में श्री सुरजमल प्रजापति च0श्रै0 कर्मचारी द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओं. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/151 दिनांक 10.05.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./781/Act/2016/1629 दिनांक 27.04.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी, Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A) (i)(a)(C) (i) and 3(1)(zx) के तहत **मिथ्याछाप व अवमानक (Mis Branded & Sub Standared)** होना पाया गया।

उक्त केस में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप व अवमानक (Mis Branded & Sub Standared)** खाद्य पदार्थ Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थीगण से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की एवं दस्तावेजो की सूचना चाही गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल, जी.एस.टी., आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 17.03.2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा स्वंय उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 को जर्ये रजिस्टर सम्मन तलब किया गया। जिसके बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। प्रकरण मे उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz) का विक्रय किया जा रहा था वह जॉच मे **मिथ्याछाप व अवमानक (Mis Branded & Sub Standared)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थीगण को धारा 51 व 52 के तहत भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौहराते हुये कहा गया कि मद नंबर 1 अस्वीकार है। आवेदक स्वयं दस्तावेजो से साबित करे। मद नंबर 2 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार नही है। उक्त मद में केवल मात्र फार्म ना 5ए पर हस्ताक्षर करवाना स्वीकार है। मद नंबर 3 प्रार्थना पत्र स्वीकार है। मद नंबर 4 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार नही है। आवेदक स्वयं अपने दस्तावेजो से साबित करे। मद नंबर 5 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार नही है। आवेदक द्वारा फर्द रिपोर्ट पर प्राथी/उत्तरदाता को पढकर नही सुनाई गई थी। केवल मात्र उस पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। मद नंबर 6 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार लिखा गया है, स्वीकार नही है, मद में वर्णित तथ्यों को आवेदक स्वयं दस्तावेजो साक्ष्य से साबित करे। मद नंबर 7 प्रार्थना पत्र में यह तथ्य स्वीकार है कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा एप्पी फीज रेडी टू सर्व ब्रेवरेज्स मैसर्स विनायक सेल्स 262 शोपिंग सेन्टर कोटा–7 से क्रय की गई थी। उत्तरदाता द्वारा उक्त बोतले उसी अवस्था में विक्रय की जा रही थी जो अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा दी गई थी। उत्तरदाता द्वारा उक्त बोतलो में किसी प्रकार की मिथ्याछाप व अवमानक को मिलाया नही गया है। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन में एप्पी फिज के निर्माता को पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त उत्पाद को एपीक्यू एग्रो प्रोडक्ट प्रा0 लि0 ग्राम मोहरा जी.टी.रोड अम्बाला, हरियाणा–133001 द्वारा निर्माण किया जाता है इसकी आवेदक द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है जो उक्त आवेदन का आवश्यक पक्षकार था। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। मद नंबर 8 प्रार्थना पत्र को आवेदक स्वयं अपने दस्तावेजों से साबित करे। मद नंबर 9 प्रार्थना पर अस्वीकार है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त उत्पाद पर किसी प्रकार की मिथ्याछाप व अवमानक नही मिलाया है। उक्त उत्पाद में स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, जयपुर राजस्थान के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसमें इस प्रकार का कोई तथ्य अंकित नही है कि उक्त उत्पाद एप्पी फीज में ऐसे तत्व हो जो मानव जीवन के लिए घातक हो। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन उत्पाद एप्पी फीज के निर्माता एपीक्यू एग्रो प्रोडक्ट प्रा0 लि0 ग्राम मोहरा जी.टी. रोड अम्बाला, हरियाणा–133001 जो कि उक्त आवेदन में आवश्यक पक्षकार था, उसे पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण उक्त आवेदन खारिज होने योग्य है। जवाब पेश कर निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/आवेदन खारिज फरमाया जावें।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./781/Act/2016/1629 दिनांक 27.04.2016 के बाद अप्रार्थीगण को एक माह का समय उक्त खाद्य पदार्थ Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz) की पुनः जॉच करवाने हेतु दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा पुनः जॉच नही करवायी गयी है।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा गया, खाद्य पदार्थ **Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz)** जॉच मे **मिथ्याछाप व अवमानक** (**Mis Branded & Sub Standared**) पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 2 प्रत्येक को धारा 51 व 52 के तहत 20,000/—रूपये, 20,000/— रूपये कुल जुर्माना राशि 40,000/—रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 1.4.2019 के बाद **मिथ्याछाप व अवमानक** (**Mis Branded & Sub Standared**) **Ready to serve Fruit Beverages (Appy-Fizz)** विक्रय हेतु मार्केट मे नही रखा जावे। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 2 को पारित आदेश की सत्य प्रतिलिपि पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)